



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1633]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/आषाढ़ 20, 1935

No. 1633]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASADHA 20, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2013

का. आ. 2129(अ).—यतः, मै. डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो हरियाणा राज्य के गुडगाँव में, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 593(अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 23.429 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित किया था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2793(अ) दिनांक 14 दिसम्बर, 2011, को 1.378 हेक्टेयर क्षेत्र को अनाधिसूचित किया, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कमशः का.आ. 3079(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 एवं अधिसूचना संख्या का.आ. 875(अ) दिनांक 26 मार्च, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में से 3.2829 एवं 0.382 अतिरिक्त क्षेत्रों को 25.716 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल अधिसूचित क्षेत्र के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया

और यतः अब मैसर्स डा० फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में से 0.4503 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव किया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.4503 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनाधिसूचित करती है जिसके परिमाणतः निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याओं और क्षेत्रों को छोड़कर कुल क्षेत्र 25.266 हेक्टेयर हो जाएगा, अर्थात्:—

अनधिसूचित किये गये क्षेत्र की तालिका-

क्रम सं.	मूल अधिसूचना का सन्दर्भ	मूल अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	स्थान का नाम	सर्वेक्षण/आयत संख्या	किला संख्या	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	शेष क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	भारत के राजपत्र में क्रम सं.32, का.आ. 593 (अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2007	0.392	गुडगाँव	65	23	0.0885	0.3035
2	भारत के राजपत्र में क्रम सं.60, का.आ. 593 (अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2007	0.405	गुडगाँव	85	3	0.0809	0.3241
3	भारत के राजपत्र में क्रम सं.14, का.आ. 3079 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 और भारत के राजपत्र में क्रम सं.61, का.आ. 593 (अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2007	0.2099 एवं 0.071	गुडगाँव	85	4	0.2809	0
						कुल अनधिसूचित होने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.4503
						अनधिसूचित के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	25.266

[फा. सं. एफ. 2/203/2006-ईपीजेड]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2013

S.O. 2129(E).-WHEREAS, M/s. Dr. Fresh Health Care Pvt. Ltd. had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Gurgaon in the State of Haryana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 23.429 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 593(E) dated 17th April, 2007, de notified an area of 1.378 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2793(E) dated 14th December, 2011 and notified additional areas of 3.2829 hectares and 0.382 hectares at above Special Economic Zone vide the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O 3079 (E) dated 31st December, 2010 and S.O 749 (E) dated 30th March, 2013 respectively, as Special Economic Zone with a total notified area of 25.716 hectares .

AND, WHEREAS, M/s. Dr. Fresh Health Care Pvt. Ltd. has now proposed to de notify 0.4503 hectares from the above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de notifies an area of 0.4503 hectares, thereby making total area of the above Special Economic Zone as 25.266 hectares, excluding the

survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE OF AREA BEING DE NOTIFIED

Sl No	Reference to original Notification	Area originally notified (In Hectares)	Name of the location	Survey/ Rectangle Number	Killa Number	Area to be de notified (In Hectares)	Remaining area (In Hectares)
1	Sl. No. 32 of GOI Gazette Notification S.O. 593 (E) dated 17th April, 2007	0.392	Gurgaon	65	23	0.0885	0.3035
2	Sl. No. 60 of GOI Gazette Notification S.O. 593 (E) dated 17th April, 2007	0.405	Gurgaon	85	3	0.0809	0.3241
3	Sl No. 14 of GOI Gazette Notification S.O. 3079 (E) dated 31st December 2010 and Sl. No. 61 of GOI Gazette Notification S.O. 593 (E) dated 17th April, 2007	0.2099 and 0.071	Gurgaon	85	4	0.2809	0
Total area to be de notified (in hectares)						0.4503	
Total area of the SEZ after de notification (in hectares)						25.266	

[F. No. F.2/203/2006-EPZ]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.